Rajesh
06.04.18

बिहार सरकार
पथ निर्माण विभाग

सं०सं० : लो०सू०को०/अपील सं०–105/17–18 2637(E) पटना, दिनांक 6/4/18

प्रेषक,

शैलेन्द्र कुमार,
उप निदेशक (क्रय एवं परि०)–सह–लो०सू०पदा०,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

श्री राम जनम प्रसाद, सचिव,
वरिष्ठ तकनीकी जन कल्याण समिति,
मालती अस्पताल के सामने, पकड़ी चौक, आरा,
भोजपुर, पिन–802301

प्रसंग :– आपका प्रथम अपील आवेदन दिनांक–10.02.2018

महाशय,

उपर्युक्त प्रासंगिक पत्र के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि आपके द्वारा प्रथम अपील दिनांक–10.02.2018 बिहार सूचना का अधिकार नियमावली, 2006 के नियम–6(1) में वर्णित प्रावधानों के अनुसार समर्पित नहीं की गई है। इस कारण आपके द्वारा दायर प्रथम अपील सुनवाई योग्य नहीं है।

अतः बिहार सूचना का अधिकार, 2006 के उक्त नियमावली के आलोक में आपका प्रथम अपील आवेदन को अस्वीकृत किया जाता है।

विश्वासभाजन
05.4.18
(शैलेन्द्र कुमार)

पथ निर्माण विभाग,
कम्प्यूटरीकृत निर्गत
पंजीयन सं० 3672
दिनांक 9-4-18

Rajesh

D:\Shri S. Kumar Kosang\R.T.I. FOLDER TILL-2018\SUCHNA KA ADHIKAR FILE\Suchanna Ka Adhikar-Letter.rtf

(11)

अपील सं॰ 105/17-18

फार्म] — बिहार सूचना का अधिकार नियमावली

कम्प्यूटरीकृत आगत पंजीयन संख्या 55507 अनु॰ 20/2/18

(मुहर: विवरण शाखा, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना)

प्रपत्र 'छ'

(नियम 6(1) देखें)

प्रथम अपील का फॉर्म

आई. डी. सं....................

दिनांक................

(कार्यालय व्यवहार के लिए)

सेवा में

अपीलीय प्राधिकार

विभाग/कार्यालय...... पथ निर्माण विभाग, कार्यालय प्रधान सचिव, पटना-01, बिहार

महाशय,

चूंकि मुझे कोई निर्णय प्राप्त नहीं हुआ है/चूंकि लोक सूचना पदाधिकारी ....के निर्णय से मैं क्षुब्ध हूं, यह अपील आपके समक्ष दायर करता/करती हूं। मेरे आवेदन का विवरण नीचे दिया जाता है:-

1. अपीलकर्ता का नाम: राम जनम प्रसाद
2. अपीलकर्ता का पता: सचिव, वरिष्ठ तकनीकी जन कल्याण समिति, पकड़ी चौक, आरा, मालती अस्पताल के सामने, भोजपुर, पीन 802301, बिहार
3. (क) लोक सूचना पदाधिकारी का नाम:
   लोक सूचना पदाधिकारी का पता: प्रशाखा पदाधिकारी-03, पथ नि॰ वि॰, बिहार, पटना
   (ख) विभाग/कार्यालय का पता:
   (ग) निर्णय का विवरण जिसके विरूद्ध अपील दायर किया जाता है — प्राप्त पत्र 7314(E) 8.12.15 एवं मेरा पत्र 22 दिनांक 14.12.2017 (छायाप्रति संलग्न)
   निर्णय सं. एवं तिथि: कोई निर्णय प्राप्त नहीं
4. (अनु॰3) प्रपत्र 'क' में आवेदन समर्पित करने की तिथि 13.10.2015 एवं मेरा पत्र 14.12.2017.
5. सूचना का ब्यौरा-
   (1) सूचना जो मांगी गई;
   (2) अवधि जिसके लिए सूचना की मांग की गई
   — 3rd ACP के लिये प्रपत्र 'क' दि॰ 13.10.15 आपको दिया गया था। आपने प्रशाखा-3 को भेज दिया वहां से जबाब 7314(E) 8/12/15 आया। प्रतीक्षा
6. प्रपत्र 'क' में आवेदन समर्पित करने के बाद 30 दिन पूरा होने की तिथि: करते और पुनः मैंने अपना पत्र 22 दि॰ 14.12.17 दिया जिसका आज तक कोई जबाब नहीं आया।
7. अपील का कारण
   (क) फॉर्म 'क' में आवेदन समर्पित करने के 30 दिनों के अंदर कोई निर्णय प्राप्त नहीं हुआ।
   (ख) लोक सूचना पदाधिकारी के निर्णय दिनांक .... सें क्षुब्ध। मेरे पत्र 22 दि॰ 14.12.17 का कोई जबाब प्राप्त नहीं (छायाप्रति संलग्न)
8. अपील का आधार/मामले से संबंधित संक्षिप्त तथ्य: यथा उपरोक्त
9. अपील दायर करने की अंतिम तिथि : 14.02.18
10. प्रार्थना/राहत जिसका अनुरोध किया गया: यथा उपरोक्त। अगर किसी अन्य से संबंधित हो तो कृपया सू॰ के अधिकार अधिनियम 6(3) का पालन करते हुए संबंधित को भेजने की कृपा की जाय।

मैं घोषित करता/करती हूं कि जहां तक मेरी जानकारी एवं विश्वास है, दी गई सूचना एवं ब्यौरे सत्य हैं।

पत्रांक 02/दिनांक 10/2/18

स्थान: आरा

तिथि: 10.02.2018

अनुलग्नक:- 10/- का Postal order प्रपत्र क, पत्र 22 एवं पत्र 7314(E) की छायाप्रति संलग्न

आवेदक का नाम: राम जनम प्रसाद

आवेदक का हस्ताक्षर: रामजनमप्रसाद 10/2/18

आवेदक का पत्राचार का पूरा पता: → रामजनम प्रसाद, सचिव, वरिष्ठ तकनीकी जनकल्याण समिति, भोजपुर, आरा 802301, मालती अस्पताल के सामने, पकड़ी चौक, आरा, भोजपुर (बिहार)

ई-मेल पता, अगर कोई हो:

दूरभाष सं. (का.) ....(आ.) ....

....यहां से अलग करें ....

सचिव
वरिष्ठ तकनीकी जनकल्याण समिति
, आरा (बिहार)

225/प्र॰ को॰ 21.2.18

प्र॰ को॰ 21.2.18

(07)

बिहार सरकार
पथ निर्माण विभाग

पत्र सं0–प्र03 / सू0–13– 40 / 2015 पटना, दिनांक.................................

प्रेषक,

सहायक लोक सूचना पदाधिकारी
–सह–प्रशाखा पदाधिकारी–03,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

श्री राम जनम प्रसाद,
सचिव,
वरिष्ठ तकनीकि जनकल्याण समिति,
मुख्य कार्यालय मालती अस्पताल के सामने
भोजपुर, आरा (बिहार)पिन–802301

विषयः – **सूचना के अधिकार के तहत आप के द्वारा याचित सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में। (आई0डी0 सं0–252 / 15–16)**

महाशय,

1956-स्था.शा.
8-12-15

उपर्युक्त विषयक आपके द्वारा याचित सूचना के अंतर्गत कंडिका (1) में माँगी गयी सूचना है। के संदर्भ में सूचित करना है कि विभागीय पीत पत्र सं0–9838(एस) दिनांक 14.10.15 द्वारा श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह का सेवा इतिहास संलग्न कर निगरानी स्वच्छता प्रतिवेदन एवं पीत पत्र सं0 9837(एस) दिनांक 14.10.15 द्वारा चारित्री प्रतिवेदन की माँग की गयी है।

निगरानी स्वच्छता प्रतिवेदन एवं चारित्री प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपरान्त नियमानुसार ए0सी0पी0 पर विचारण हेतु स्क्रीनिंग समिति की बैठक में रखा जायेगा।

विश्वासभाजन

08.12.15

ह0 / –
सहायक लोक सूचना पदाधिकारी
–सह–प्रशाखा पदाधिकारी–03,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक – 7314(E) पटना, दिनांक 8.12.15

प्रतिलिपि–उपनिदेशक (क्रय एवं परि0)–सह–लोकसूचना पदाधिकारी, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को उनके पत्रांक 6684(ई0) दिनांक 16.10.15 एवं पत्रांक 6964(ई0) दिनांक 09.11.15 के प्रसंग में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

08/12/2015
सहायक लोक सूचना पदाधिकारी
–सह–प्रशाखा पदाधिकारी–03,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

(03)

प्रपत्र 'क'

सूचना प्राप्त करने के लिए आवेदन प्रपत्र

आई.डी. सं० (कार्यालय प्रयोग के लिए) 2521/1516

कम्प्यूटरीकृत पंजीयन संख्या 266817 15/10/15

सेवा में

लोक सूचना पदाधिकारी

(विभाग/कार्यालय) प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना)

1. आवेदक का नाम : रामजनम प्रसाद, सचिव, वरिष्ठ तकनीकी जनकल्याण समिति,
2. पूरा पता : मुख्य कार्यालय : मालती अस्पताल के सामने, पकड़ी चौक, आरा, भोजपुर (बिहार), पिन कोड : 802301,
3. मांगी गई सूचना का ब्यौरा (संक्षेप में) : श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह, से॰नि॰ सहायक अभियन्ता, को तृतीय सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन (3rd A.C.P.) का लाभ अबतक नहीं मिल सका है, जबकि विभाग-इनके समकक्ष एवं कई कनीय को लाभ दे चुका है। ये कई कई आवेदन दिये, कोई सुनवाई नहीं हुयी। ये मेरे समिति के एक सम्मानित पदाधिकारी हैं। मैंने अपने पत्र 18 दि० 07.07.15 के माध्यम से, इनके मामले पर सहानुभूति पूर्वक विचार हेतु प्रधान सचिव, प॰नि॰विभाग, बिहार, पटना से अनुरोध किया है- लेकिन करीब 3 माह से ऊपर हो रहे हैं - कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ (पूर्ण जानकारी हेतु अपने पत्र 18 दि० 07.07.2015 एवं श्री वीरेन्द्र कु॰ सिंह के पत्र दि० 06.07.13 की छायाप्रति संलग्न करते हैं)

अनु॰ 1694-प्र॰शा॰ 16-10-15

कृपाकर, सूचना के अधिकार अधिनियम '05 के तहत, मुझे निम्न जानकारी उपलब्ध करायी जाय :-

(i) समय से, अन्य इनके समकक्षों की भाँति, इन्हें भी तृतीय सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन का लाभ अबतक नहीं मिल पाने का कारण क्या है? बार बार अनुरोध पत्रों का जवाब तक नहीं देने का क्या कारण है? इस तरह अनावश्यक हो रहे विलंब के कारण, हो रही आर्थिक क्षति, मानसिक एवं शारीरिक परेशानी की भरपाई विभाग किस तरह करना चाहेगा? कार्य के प्रति उदासिनता, अवहेलना, विलंब के दोषी व्यक्ति/पदाधिकारी पर, किस प्रकार की दण्डात्मक कारवाई, विभाग करना चाहेगा? तृतीय सुनिश्चित वृत्ति (3rd A.C.P) का लाभ आखिर, श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह को कबतक मिल पायेगा?

कृपाकर अपीलीय प्राधिकार का पता दिया जाय।

4. मैं एतद् द्वारा घोषित करता/करती हूँ कि मेरी पूरी जानकारी में मांगी गई सूचना, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 8 एवं 9 के अंतर्गत मुक्त नहीं है यह आपके विभाग/कार्यालय से संबंधित है।
5. (1) मैं 10 रुपया (शब्दों में) दस तिथि.................को रसीद सं०................. से विभाग/कार्यालय में भुगतान किया है।
   (2) मैं डिमान्ड ड्राफ्ट/भुगतान (पोस्टल) आदेश सं० 28F 580471 दिनांक 07/15 जो कि लोक सूचना पदाधिकारी के पक्ष में भुगतेय ——— बैंक द्वारा जारी की गयी है, फीस के रूप में संलग्न करता हूँ।
   (3) मैंने दस (10) रुपये का नन जुडिशियल स्टाम्प सं० ——— इस आवेदन में लगा दिया (संबद्ध कर दिया) है।
   (4) मैं गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवार का हूँ। मेरा कार्ड/वांछित सर्टिफिकेट की छाया प्रति संलग्न है।

आवेदक का हस्ताक्षर : [signature] 13/10/2015

ई-मेल पता, अगर कोई हो : ———

दूरभाष संख्या (कार्यालय) : सचिव, वरिष्ठ तकनीकी जनकल्याण समिति, भोजपुर, आरा (बिहार) Reg. No - 416/13-14

आवास :

आवेदक के पत्राचार का पूरा पता : यथा उपरोक्त

स्थान : आरा

तिथि : 13.10.2015

अनुलग्नक - यथा उपरोक्त।
10/रु॰ का Postal Order।

नोट :- गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवार को कोई फीस देय नहीं है।
जो लागू नहीं है उसे काट दें।